मु0नं0 06/2025 उनवान घमोली बनाम तहसीलदार

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 06/2025 तारीख रजू :– 03.03.2025

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

घमोली पुत्री शौरू जाति मीना निवासी मण्डेरू, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

वादीया

वनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली (राज0)

प्रतिवादी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :– 1 श्री हंसराम गुर्जर एडवोकेट वादीया

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक– 07.07.2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम विशनपुरा चारण तह0 टोडाभीम के खाता संख्या 68 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 255 रकवा 0.66 है0, 256 रकवा 0.30 है0, 257 रकवा 0.36 है0, 263/384 रकवा 0.12 है0, कुल किता 4 कुल रकवा 1.44 है0 स्थित ग्राम विशनपुरा चारण तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0) है जिसमें वादिया 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा बकिये हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है। उक्त सखरा नम्बरान साबिक खसरा नम्बर 226 मिन है। वादीया के पिता शौरू की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 143 वादीया के भाई जगन लाल, नन्दलाल पि0 शौरू व धामोली पुत्री शौरू, भौती बेबा शौरू के नाम खुला था, जिसका नोट जमावंदी संवत 2038–41 की जमावंदी पर अंकित है परन्तु प्रबंध के बाद में जमावंदी आधार वर्ष 2052 में सहवन से वादीया का नाम श्योजी पुत्री शौरू कर दिया। वादीया को गांव में श्योजी के नाम से बोलते थे इसलिये वादीया का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

भूप्रबंध के बाद में जमावंदी बनाते समय श्यौजी पुत्री शौरू दर्ज कर दिया जबकि वादीया का सही नाम घमोली पुत्री शौरू है जिसका दुरूस्त होना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादीया को गलत इन्द्राज का पता चलते ही वादीया दिनांक 15.02.2025 को तहसील टोडाभीम में गया और तहसीलदार टोडाभीम से राजस्व रिकॉर्ड में हुई उक्त गलती को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार जी टोडाभीम ने राजस्व रिकॉर्ड में हुये उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया और वादीया से कहा कि भुप्रबंध से पूर्व का ममला है इसलिये न्यायालय में कार्यवाही करो जिस कारण यह दावा श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। दावा वादीया इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम विशनपुरा चारण में स्थिति आराजीयात खसरा नम्बर 255 रकवा 0.66 है0, 256 रकवा 0.30 है0, 257 रकवा 0.36 है0, 263/384 रकवा 0.12 है0, कुल किता 4 कुल रकवा 1.44 है0 में वादीया के नाम श्यौजी पुत्री शौरू को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर घमोली पुत्री शौरू दर्ज करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान करने निवेदन किया

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 , 5 में वर्तमान जमावंदी ग्राम विशनपुरा चारण में जमाबंदी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 68 ख0नं0 255/0.66, 257/0.36, 263/384/0.12, 256/0.30 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 है0 में हिस्सा 1/6 श्यौजी पुत्री शौरू जाति मीना सा0 मण्डेरू खातेदार रिकार्ड दर्ज है। जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में वादीया का नाम घमोली पुत्र शौरू है मैने अधिवक्तागण की बहस सुनी अधिवक्ता वादीया अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया का नाम घमोली है लेकिन रेवेन्यू रिकोर्ड श्यौजी हो गया है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजो मे बच्चो के दस्तावेजो में मेरा नाम घमोली है मैने दस्तावेजो मे राशन कार्ड भामाशाह कार्ड बच्चो के दस्तावेज पेश किये पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जबाब के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी में वादीया का नाम श्यौजी है जो नामान्तरकरण संख्या 143 वि[illegible]त [illegible]द्वारा आयी है

मैने वादीया वकील व पैरोकार [illegible]दार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलो[illegible]न किया। जमावंदी ग्राम विशनपुरा चारण तह0 टोडाभीम के खाता संख्या सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

68 ख0नं0 255/0.66, 257/0.36, 263/384/0.12, 256/0.30 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 है0 में वादीया का नाम श्यौजी पुत्री शौरू है। सम्वत् 2038–41 के खाता सं0 9 ख0नं0 206 रकवा 5 बीघा 14 विस्वा शौरू पुत्र फूल्या 1/2 के स्थान पर नामान्तकरण सं0 143 विरासत के द्वारा जगनलाल, नंदराम पिता शौरू घमोली पुत्री शौरू, भौती बेबा शौरू हिस्सा 1/2 दर्ज हुआ है। जमाबन्दी 2052 में लिपिकीय भूल से घमोली के स्थान पर श्यौजी पुत्री शौरू दर्ज हो गया। उक्त दस्तावेजों तथा तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र याग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अतः ग्राम विशनपुरा चारण तह0 टोडाभीम की आराजी 255 रकवा 0.66 है0, 256 रकवा 0.30 है0, 257 रकवा 0.36 है0, 263/384 रकवा 0.12 है0, कुल किता 4 कुल रकवा 1.44 है0 में वादीया का नाम श्यौजी पुत्री शौरू को हजफ कर घमोली पुत्री शौरू अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादीया जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:32 IST
Reason: SelfAttested